

प्र॒र॒ल॒प्-III

(नियम 6 (3) देखें)
प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में

.....
.....

फाइल सं.....
तारीख.....

संदर्भ : आपका दिनांक का आवेदन सं.....।

महोदय,

..... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद को उनके प्रशासनिक कार्यालय को में अपशिष्ट प्रक्रिया/ अपशिष्टनिपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न शर्तों (अनुपालन के मानकों सहित) पर को प्राधिकृत करता है ।

(1) यह प्राधिकार तक वैध रहेगा । वैधता का तारीख समाप्त होने के बाद इसका पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा । (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई शर्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के उल्लंघन को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दायिक उपबंध लागू होंगे ।

तारीख
स्थान

भवदीय

सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्रूप - IV
(नियम 8(1) देखिए)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट का प्रारूप।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार
'परिवेश भवन' ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली -1100032.

- | | |
|---|---|
| 1. राज्य/ संघ राज्य/क्षेत्र का नाम | कृपया उपाबद्ध I के रूप में संलग्न करें। |
| 2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता | कृपया उपाबद्ध II के रूप में संलग्न करें। |
| 3. इन नियमों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेष अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या | कृपया उपाबद्ध III के रूप में संलग्न करें। |
| 4. नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची I [नियम 4(3)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण | कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें। |
| 5. नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची II [नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण | |
| 6. नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची III [नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण | |
| 7. नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची IV [नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण | |

तारीख :
रथान

अध्यक्ष या सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्र० र० प - V
(नियम (9)देखिए)

दुर्घटना की सूचना

1. दुर्घटनाओं का तारीख तथा समय
2. उन घटनाओं का क्रम जिनके कारण दुर्घटना हुई
3. किस अपशिष्ट के कारण दुर्घटना हुई
4. मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का निर्धारण
5. किए गए आपातकालीन उपाय
6. दुर्घटना के प्रभावों का कम करने के लिए उठाए गए कदम
7. इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए के लिए किए गए उपाय

तारीख.....
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

[फा. सं. 17-2/95-एच.एस.एम.डी.]
चौ. राजगोपालन, संयुक्त सचिव